अध्याय-4
राज्य की वित्तीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद
- एफ.आर.बी.एम.ए. अनुरूप राजकोषीय समेकन एवं ऋण प्रबंधन
- राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ
- स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियाँ
- स्वयं की गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ
- व्यय की प्रवृतियाँ
- स्वयं की राजस्व प्राप्तियों का पूर्वानुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

4.1 राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल्याँकन करने के लिए, राज्य की आर्थिक संवृद्धि की प्रवृत्तियों में आने वाले बदलावों तथा अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए ''राज्य सकल घरेलू उत्पाद'' (GSDP) सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पैमाना है।

4.2 वर्ष 2017–18 से 2022–2023 [A] में GSDP (प्रचलित मूल्य) की वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर 10.11% रही है। 2011–12 से 2016–17 के बीच GSDP (प्रचलित मूल्य) की वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर (CAGR) 10.7% थी। वस्तुतः कोविड पूर्व काल से ही 2014–15 से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र माँग में कमी के संकेत दृष्टिगोचर हो रहे थे। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 में क्रमशः 12.30% तथा 16.52% की उच्च वार्षिक वृद्धि दर के पश्चात् 2014–15 तथा 2015–16 में वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः घटकर मात्र 6.91% और 1.83% ही प्राप्त हुई।

4.3 2011–12 से 2016–17 के बीच 5 वर्ष की अवधि में GSDP (प्रचलित मूल्य) की वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर (CAGR) 10.7% जबकि 2016–17 से 2021–22 (Q), 5 वर्ष की अवधि में CAGR, 9.11% अनुमानित है। इस घटी हुई वृद्धि दर का मुख्य कारण, राज्य की अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का नकारात्मक प्रभाव है।

4.4 प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों और चुनौतियों से गहन रूप से प्रभावित हुई है। कोविड महामारी तथा राष्ट्रीय स्तर पर लागू किये गये कठोर लॉकडाउन के कारण श्रमिकों का अभूतपूर्व शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रवासन हुआ। इस प्रवासन के परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी तथा मजदूरी की दरों में गिरावट आयी। कठोर लॉकडाउन का उत्पादन क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। विशेषतः सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लाभ में कमी के परिणामस्वरूप श्रमिक–कर्मचारियों की छटनी और वेतन में कमी की गई, जिसके कारण शहरी बेरोजगारी में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। कोविड, व्यक्ति के जीवन के लिए एक अबूझ संकट के साथ–साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी प्राणघातक साबित हुआ।

4.5 कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2019–2020तथा 2020–21 [P] में GSDP (प्रचलित मूल्य) की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 5.36% तथा 0.90% रही है। स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 2019–2020 में मात्र 2.76% तथा 2020–21 [P] में ऋणात्मक (-) 1.80%हो गयी।

4.6 तथापि व्यापक टीकाकरण, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों यथा गरीबों तथा कोविड प्रभावितों को निःशुल्क खाद्यान्न आपूर्ति, श्रमिकों के लिए रोजगार, मज़दूरी सहायता, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवरेज आदि कई उपायों द्वारा अनुकूल तथा सकारात्मक आर्थिक वातावरण निर्मित करने हेतु प्रयास किये गये।

4.7 वर्ष 2011–12 में राज्य की जीएसडीपी (प्रचलित मूल्य) 158073.82 करोड़ रूपये थी जो कि 10 वर्ष में 2021–22 [Q] में 9.90% वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर [CAGR] के साथ 2.57 गुना अधिक होकर 406415.8 करोड़ रूपये अनुमानित है। आगामी वर्षों में भी राज्य की अर्थव्यवस्था उच्च संवृद्धि दर प्राप्त कर सकेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है।

तालिका 4.1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

(राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर कीमतों, 2011–2012 पर)
2017–18	282737.4	220135.7
2018–19	327106.7	244579.2
2019–20	344648.1	251324.7
2020–21(P)	347752.5	246803.6
2021–22(Q)	406415.8	267680.9
2022–23(A)	457608.3	289082.4

(P)-Provisional, (Q)-Quick, (A)-Advance, Estimate.

स्रोत–आर्थिक समीक्षा, 2022–2023

ग्राफ – 4.1

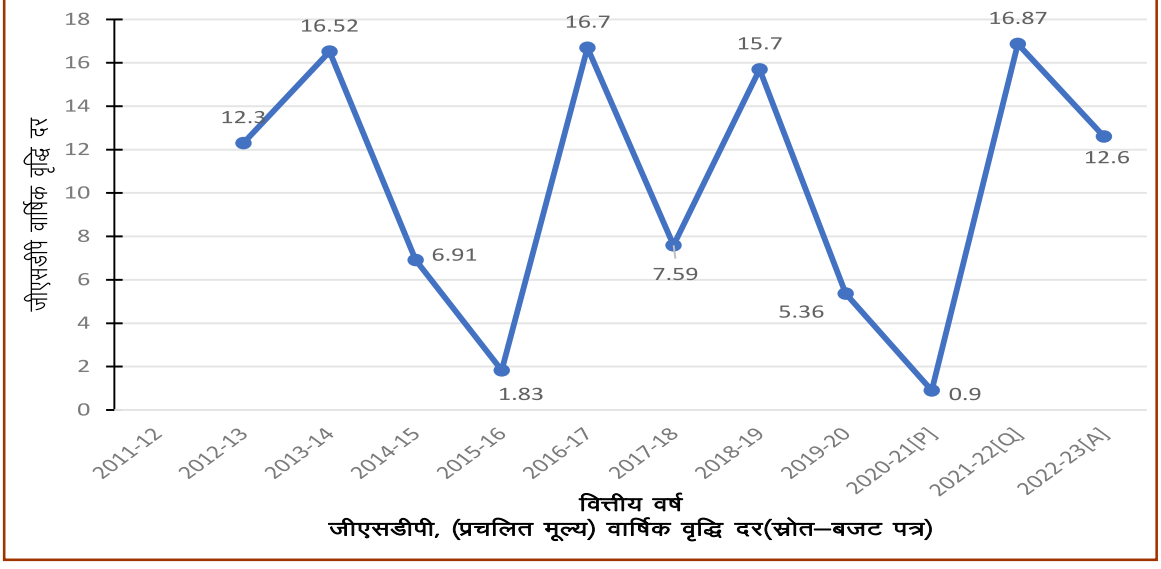

जीएसडीपी, (प्रचलित मूल्य) वार्षिक वृद्धि दर(स्रोत–बजट पत्र)

एफ.आर.बी.एम. अधिनियम अनुरूप राज्य में राजकोषीय समेकन तथा ऋण संवहनीयता

4.8 आर्थिक तथा राजकोषीय नीतियों के साथ बजटीय संसाधनों के प्रबंधन में उच्च स्तर की पारदर्शिता तथा विवेकपूर्ण आर्थिक प्रबंधन करने हेतु केंद्र सरकार ने "राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBMA 2003)" को 5,जुलाई 2004 से प्रवृत्त किया। यह अधिनियम राजकोषीय प्रबंधन में तथा दीर्घकालिक वृहत आर्थिक स्थिरता में, अंतर–पीढ़ी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार को उत्तरदायित्व प्रदान करती है। सतत् राजकोषीय संधारणीयता के साथ विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन तथा मौद्रिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा राजकोषीय बाधाओं को दूर करना और केंद्र सरकार के उधार, ऋण तथा घाटे को निश्चित

सीमा के अधीन रखने, राजकोषीय संक्रियाओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता निर्मित करने तथा मध्यम आवधिक ढांचे में राजकोषीय नीतियों का संचालन इस अधिनियम के लक्ष्य हैं।

4.9 छततीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम – 2005, राज्य में 2 सितम्बर 2005 से प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, राजस्व घाटे की समाप्ति द्वारा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना, राजकोषीय घाटे को कम करना, राजकोषीय वहनीयता के अनुसार ऋण प्रबंधन, राजकोषीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे के अनुरूप राजकोषीय नीतियों का संचालन सुनिश्चित करने हेतु, राज्य सरकार को उत्तरदायी बनाया गया है।

4.10 छततीसगढ़ एफ.आर.बी.एम.ए. अधिनियम – 2005 में 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटा को समाप्त करने तथा राजकोषीय घाटा को राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, इस हेतु एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) – 2006 में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये गये। अधिनियम के लक्ष्यों को समयावधि में प्राप्त कर लिया गया।

4.11 छततीसगढ़ एफ.आर.बी.एम 2011 (संशोधन) अधिनियम में राज्य सरकार ने निर्धारित किया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2014–15 के मध्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शून्य, राजस्व घाटा, 3% की सीमा में राजकोषीय घाटा तथा कुल ऋण दायित्व सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में 2010–11 में 22% से 2014–15 में 23.90% के बीच सीमित रखना है। अधिनियम के लक्ष्यों के अनुरूप 2013–14 तथा 2014–15 को छोड़कर अन्य वर्षों में राजस्व अधिशेष की स्थिति रही तथा 2014–15 के अतिरिक्त अन्य वर्षों में राजकोषीय घाटा 3% से कम रहा।

4.12 छततीसगढ़ एफ.आर.बी.एम. (संशोधन) अधिनियम – 2016 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ने अधिनियमित किया है कि राज्य सरकार, केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियमों के लिए सुझाये गये राजकोषीय नियमों को राज्य के लिए विनिर्दिश्ट करेगी। तद्नुरूप चौदहवें वित्त आयोग द्वारा 2015–16 से 2019–20 तक राज्यों हेतु अनुशंसित राजकोषीय मापदंड, राज्य के राजकोषीय समेकन हेतु लक्ष्य है।

4.13 चौदहवें वित्त आयोग ने 2015–16 से 2019–20 तक, राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे का वार्षिक लक्ष्य, जीएसडीपी का 3ः निर्धारित किया था। हालाँकि, राज्य निम्नलिखित शर्तों के आधार पर रियायत प्राप्त कर सकते थे कि :–

(1) वर्ष जिसमें उधार सीमाएं निर्धारित किया जाना है और उसके तुरंत पूर्ववर्तीवर्ष में कोई राजस्व घाटा नहीं हुआ हो।

(2) उपरोक्त शर्त के पूरा होने के बाद, पूर्ववर्ती वर्ष में ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 25% से कम या बराबर रहने पर 3% की उच्चतम सीमा पर 0.25% लचीलेपन की अनुमति दी गई थी।

(3) अन्य 0.25% लचीलेपन की अनुमति इस शर्त के पूरा होने की स्थिति में दी गई थी कि पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज का भुगतान, राजस्व प्राप्तियों के 10% से कम या उसके बराबर रहे।

4.14 चौदहवें वित्त अयोग द्वारा निर्धारित राजकोषीय मापदंडो के अनुरूप 2015–16, 2016–17, 2017–18, तथा 2018–19 में राज्य में राजस्व अधिशेष की स्थिति थी। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2016–17 के पश्चात् राजस्व अधिशेष

घटता गया है तथा 2018–19 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी के प्रतिशत में मात्र 0.21ः हो गया। जीएसटी लागू होने के पश्चात् राज्य के राजस्व अधिशेष की स्थिति पर प्रतिगामी प्रभाव पड़ा है साथ ही कोविड महामारी के कारण राजकोषीय प्रबंधन प्रभावित हुआ।

2019–20 में राजस्व घाटा हुआ जो जीएसडीपी के 2.79% है तथापि 2020–2021 में राजस्व घाटा घटकर 1.97ः हो गया, और 2021–2022 तथा 2022–2023(पु.अ.) में पुनः राजस्व अधिशेष की स्थिति अनुमानित हैं।(तालिका 4.2, 4.3)

तालिका 4.2
राज्य सरकार के राजकोषीय संकेतकों का विवरण

(राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	बजट/कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजस्व अधिक्य/घाटा	प्राथमिक घाटा
2017–18	66600.54	–6810.31	3417.33	–3511.98
2018–19	73565.14	–8302.07	683.75	–4649.52
2019–20	82099.86	–17969.55	–9608.61	–12999.21
2020–21	79107.54	–15822.38	–6856.66	–10189.27
2021–22	85838.04	–6093.10	4642.02	49.14
2022–23(पु.अ.)	112708.04	–14499.78	2661.16	–7237.73

स्रोतः– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षो का बजट, (+) अधिशेष, (–)घाटा (पु.अ.)–पुनरीक्षित अनुमान

4.15 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप 2015–19 के बीच राजकोषीय घाटा, जीएसडीपी के 3ः से कम रहा है परंतु 2019–20 में यह 5.21% के स्तर पर पहुंच गया और क्रमशः घटते हुए पुनः 2022–23(पु.अ.) में 3.17% अनुमानित है। 2015 से 2020 के बीच ब्याज भुगतान, कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में 10% के चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित स्तर से कम स्तर पर है। 2015–20 के बीच कुल सार्वजनिक देयताएँ भी जीएसडीपी के प्रतिशत में चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 25% की सीमा से कम हैं। (तालिका 4.3, 4.4)

तालिका 4.3
FRBM लक्ष्य के विरूद्ध राजकोषीय संकेतकों का प्रदर्शन

(GSDP के प्रतिशत के रूप में)

वित्तीय वर्ष	FRBM लक्ष्य		वास्तविक प्रदर्शन		
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटा
2017–18	–3.0	0.0	–2.41	1.21	–1.24
2018–19	–3.0	0.0	–2.54	0.21	–1.42
2019–20	–5.0	0.0	–5.21	–2.79	–3.77
2020–21	–5.0	+0.1	–4.55	–1.97	–2.93
2021–22	–4.0	+0.5	–1.5	+1.14	0.01
2022–23 (पु.अ.)	–3.5	+0.8	–3.17	+0.58	–1.58

स्रोत :– (1) छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षों का बजट पत्र

(2) 2019–2020 तथा 2020–2021 के लिए FRBM लक्ष्य, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम संशोधन 2020 के अनुसार

(3) 2017–2018 तथा 2018–2019 के लिए FRBM लक्ष्य 14 वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन अनुसार

(4) 2021–2022 तथा 2022–2023, FRBM लक्ष्य 15 वें वित्त आयोग के प्रतिवेदन अनुसार

ग्राफ – 4.2

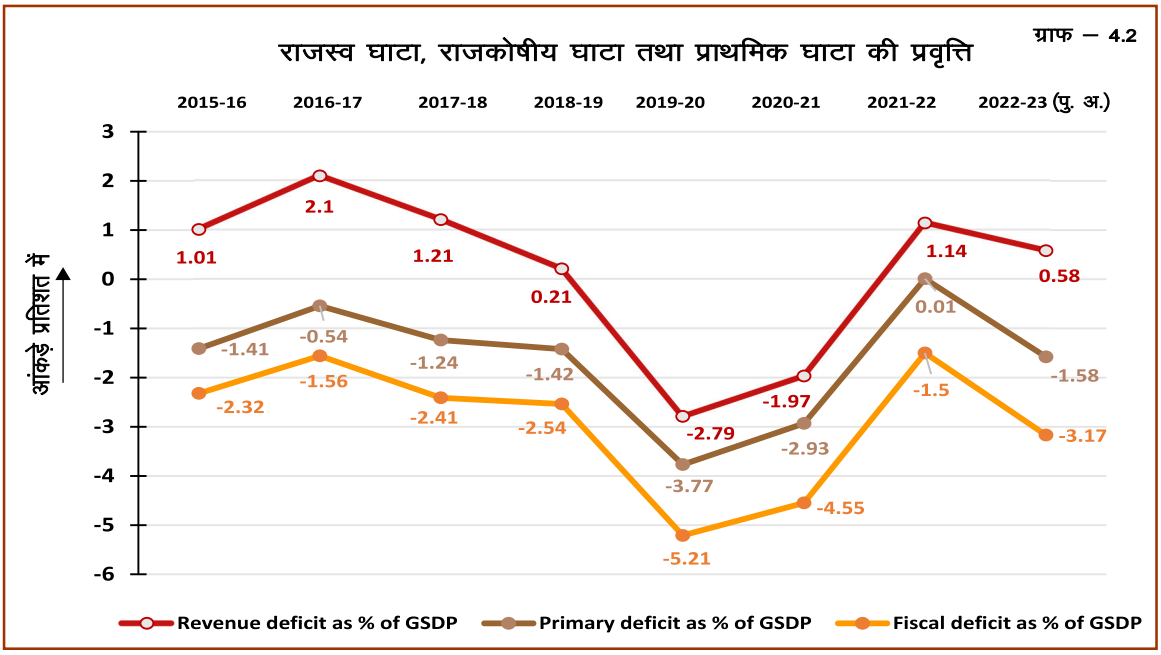

तालिका 4.4
राज्य की ऋण देयताएं

(राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	कुल दायित्व	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	कुल दायित्व का GSDPसे प्रतिशत का लक्ष्य	कुल दायित्व का GSDP से वास्तविक प्रतिशत
2017–18	52907.08	21.82	17.05	18.71
2018–19	66749.51	26.16	18.40	20.41
2019–20	78712.46	17.92	19.58	22.84
2020–21	92714.23	17.79	28.10	26.66
2021–22	99172.89	6.97	28.80	24.40
2022–23	113672.67	14.62	30.20	24.84

टीपः– 1. वर्ष 2022–2023 के लिए देयता की गणना वर्ष 2021–2022 की देयता में वर्ष 2022–2023(पु.अ.)के राजकोषीय घाटे की राशि को जोड़कर प्राप्त की गई है।

स्रोत :– (1) कुल दायित्व हेतु, संबंधित वर्षों के बजट पत्र(2) जीएसडीपी हेतु, आर्थिक समीक्षा, 2022–2023

(3)कुल दायित्व का जीएसडीपी से प्रतिशत लक्ष्य वर्ष 2017–2018 से 2019–2020, 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुलग्नक 14.1) अनुसार तथा 2020–2021 से 2022–2023, 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार (अनुलग्नक 12.1, खण्ड II, 15वें वित्त आयोग)

ग्राफ – 4.3

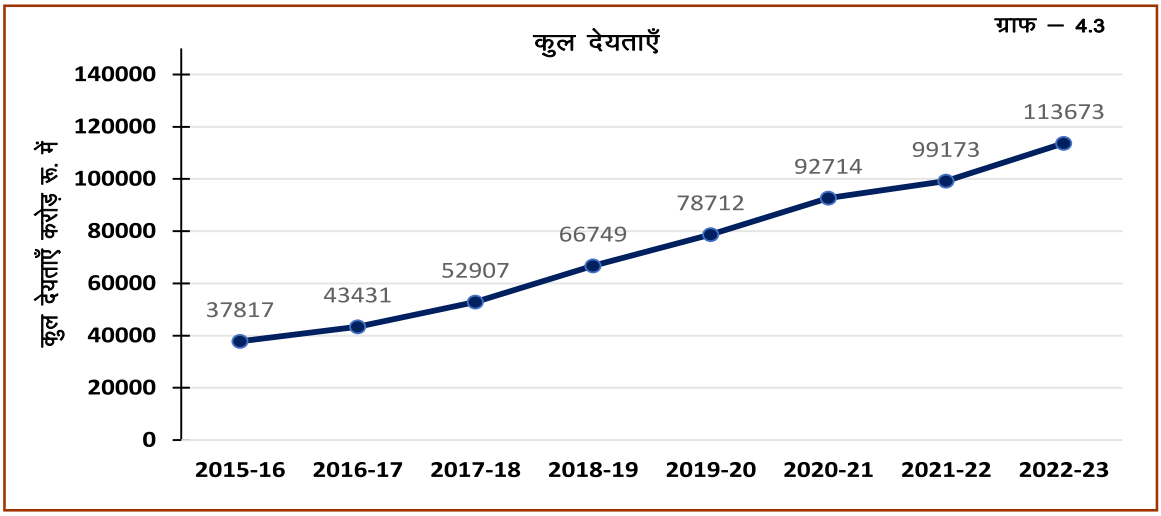

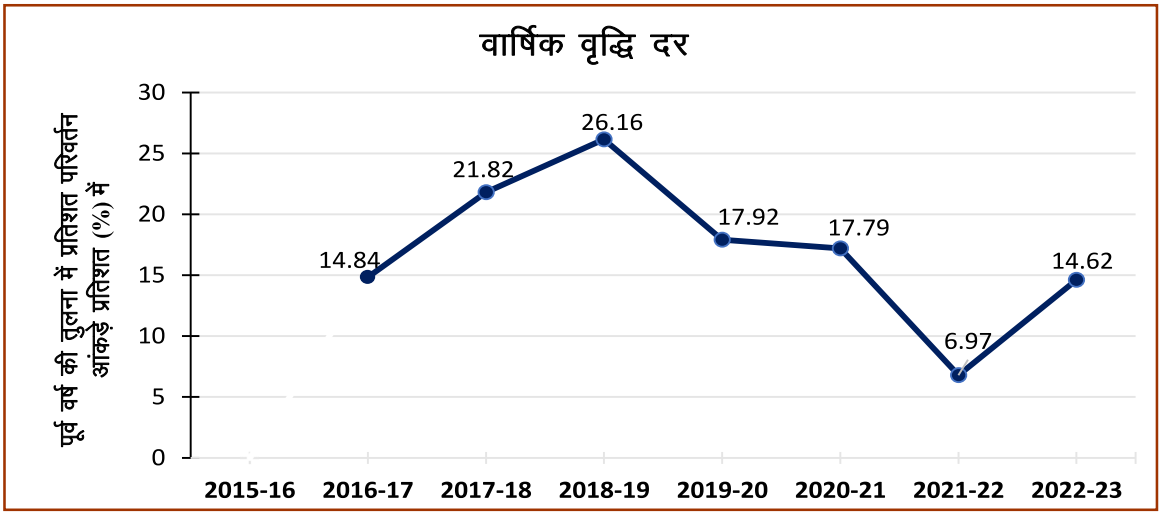

4.16 कोविड 19 वैश्विक महामारी तथा परिणामी आर्थिक संकुचन के कारण राज्य सरकार के संसाधन संबंधी माँग की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हुई। इन माँगों को पूरा करने के साथ–साथ राज्य के राजकोषीय लक्ष्यों के भीतर, समावेशी विकास, संवृद्धि प्रवण तथा परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता तथा चुनौती रही है। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में विकास आवश्यकताओं को पूरा करना तथा कल्याणकारी राज्य के संवैधानिक आदर्श को प्राप्त करना कठिन चुनौती बना हुआ है। इन आदर्शों तथा उद्देश्यों को कठोर तथा अनम्य राजकोषीय सीमाओं के भीतर पूरा कर पाना संभव नही है, अतः राज्य ने 2021 में अपने एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करके निर्धारित किया कि "वित्तीय वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 के लिए राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 5% से अधिक नहीं होगी"। इस तरह राजकोषीय समेकन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नमनीय रहा है।

4.17 राज्य के जीएसडीपी की अनुकूल वृद्धि दर, उच्च राजस्व प्राप्ति की संभावना तथा सीमाधीन ऋण देयताओं के विश्लेषण से यह उम्मीद की जा सकती है कि राज्य 15वें वित्त आयोग द्वारा आगामी वर्षों हेतु अनुशंसित राजकोषीय सीमाओं के भीतर अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम और समर्थ रहेगा।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (TRR)

4.18 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में 25867.38 करोड़ रूपये थी, जो 2016–17 तक लगभग 2.1 गुणा बढ़कर 53685.25 करोड़ रूपये हो गई। इस अवधि में राजस्व प्राप्ति की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), 15.72% रही।

4.19 वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2022–23 (पु.अ.)के बीच समान 05 वर्ष की अवधि में राजस्व प्राप्ति की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर 10.42% अनुमानित है। 2017–18 में राजस्व प्राप्तियाँ 59647.08 करोड़ रूपये थी, जो 2022–23 (पु.अ.) में 97908.26 करोड़ रूपये अनुमानित है। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर में कमी के दो मुख्य कारण हैं, कोविड के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शिथिलता तथा 2017–18 में जीएसटी लागू होने के पश्चात् कर राजस्व के वृद्धि दर में हुई कमी।

4.20 2019–20 तथा 2020–21 में कोविड तथा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रभावों के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। राजस्व प्राप्ति की वार्षिक वृद्धि दरें 2019–20 तथा 2020–21 में क्रमशः ऋणात्मक (–)1.88% तथा (–)1.08% रही। राजस्व प्राप्ति 2018–19 की तुलना में लगातार दो वर्ष घटते हुए, 2020–21 में 63176.18 करोड़ रूपये हो गई।

4.21 2017–18 से वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पश्चात् राज्य के कर आय क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 2011–12 में राज्य का कर राजस्व [TR], 17032.7 करोड़ रूपये था, जो 2016–17 में (GST लागू होने से पूर्व) 17.25% चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ 37754.37 करोड़ रूपये हो गया। यद्यपि इस उच्च वृद्धि दर का एक कारण 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप 2015–16 से केन्द्रीय करों में राज्य की बढ़ी हुई हिस्सेदारी है तथापि जीएसटी लागू होने के पश्चात् 2017–18 (40649.49 करोड रू.) से 2022–23 (65158.26 करोड रू. (पु.अ.)) के बीच 05 वर्ष की अवधि में कर राजस्व की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) मात्र 9.9% ही अनुमानित है।

4.22 2017–18 से जीएसटी लागू होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ को कर राजस्व में हानि हुई है। जीएसटी एक उपभोग व्यय आधारित कर है, जबकि छत्तीसगढ़ में व्यापक गरीबी तथा निम्न उपभोग स्तर है। सीएसटी तथा प्रवेश शुल्क जैसी कर मदें, जो राज्य के कर राजस्व की महत्वपूर्ण घटक थीं, की समाप्ति से कर राजस्व में हानि हुई है। राज्य के स्वयँ के कर राजस्व (OTR) में 2011–12 (10712.25 करोड़ रू.) से2016–17 (18945.21 करोड़ रू.) 5 वर्ष की अवधि में CAGR, 12.1% थी, जबकि जीएसटी लागू होने के पश्चात् 2017–18 (19894.68 करोड़ रू.) से 2022–23 (32800 करोड़ रू. (पु.अ.)), 5 वर्ष की अवधि में CAGR मात्र 10.5% अनुमानित है। जीएसटी लागू होने के पश्चात् राज्य को कर आय में जितनी अनुमानित वृद्धि की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई। कई कर मदें जीएसटी में शामिल हो गई, जिससे राज्य की स्वयँ की कर राजस्व क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जबकि उन कर मदों के जीएसटी में शामिल होने के पश्चात् राज्य को प्राप्त कर आय तुलनात्मक रूप से कम रही।

4.23 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले कर हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% किये जाने तथा राज्यों के बीच परस्पर हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ की कर प्राप्ति

हिस्सेदारी 2.47% से बढ़कर 3.08% होने पर, 14वें वित्त आयोग पंचाट अवधि (2015–2020) के दौरान राज्य के राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई।

4.24 2011–12 में राज्य का स्वयँ का राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों का 57.1% था, जो 2013–14 तक बढ़कर 60.67% हो गया था। 2011–15 के बीच कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियाँ 50% से अधिक थी, परंतु 2015 से 2023 के बीच, वित्तीय वर्ष 2021–2022 को छोड़कर अन्य वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में केंद्र से प्राप्त कर हिस्सेदारी तथा अनुदान 50% से अधिक रही है।

4.25 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले करों के हिस्सेदारी के परिणामस्वरूप कोविड से प्रभावित वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 को छोड़कर 2015–16 से 2021–22 के बीच छत्तीसगढ़ में स्वयं के कर राजस्व में वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में वार्षिक वृद्धि दर अधिक रही है।

4.26 राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व [TR] की हिस्सेदारी 2011–12 में 65.85% थी जो 2015–16 तक बढ़कर 71.18% हो गई। 2016–17 में कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का 70.32% तथा गैर कर राजस्व 29.67% था। विगत वर्षों में राजस्व प्राप्तियों में गैर कर राजस्व, विशेष रूप से स्वयँ के गैर कर राजस्व की वृद्धि दर अधिक रही है। 2022–23 (पु.अ.) में कुल राजस्व में कर राजस्व 66.55% तथा गैर कर राजस्व 33.45% अनुमानित है।

4.27 15वें वित्त आयोग ने करों के निवल आगम (विभाज्य पूल) में राज्यों की कुल हिस्सेदारी को 42% से घटाकर 41% कर दिया है। यद्यपि विभाज्य पूल में छत्तीसगढ़ राज्य की हिस्सेदारी 3.08% से बढ़कर 3.407% हो गई है तथापि यह अनिश्चित है कि केंद्रीय करों से प्राप्त कर आय में राज्य की हिस्सेदारी में तीव्र वृद्धि होगी।

तालिका 4.5
राज्य की कुल प्राप्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रू. में)

वित्तीय वर्ष	राज्य का स्वयँ का कर राजस्व	राज्य का स्वयँ का गैर कर राजस्व	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	सहायक अनुदान	पूंजीगत प्राप्तियां	कुल प्राप्तियाँ (योग)
2017–18	19894.68	6340.42	20754.81	12657.17	7251.90	66898.98
2018–19	21427.25	7703.02	23458.69	12505.96	8148.42	73243.34
2019–20	22117.85	7933.77	20205.84	13611.24	16810.53	80679.23
2020–21	22889.19	7136.95	20337.54	12812.49	15904.67	79080.84
2021–22	27083.73	13851.21	28570.79	10146.30	6697.20	86349.23
2022–23 (पु.अ.)	32800.00	16000.00	32358.26	16750.00	14800.00	112708.26

स्रोत :– संबंधित वर्षों का बजट पत्र

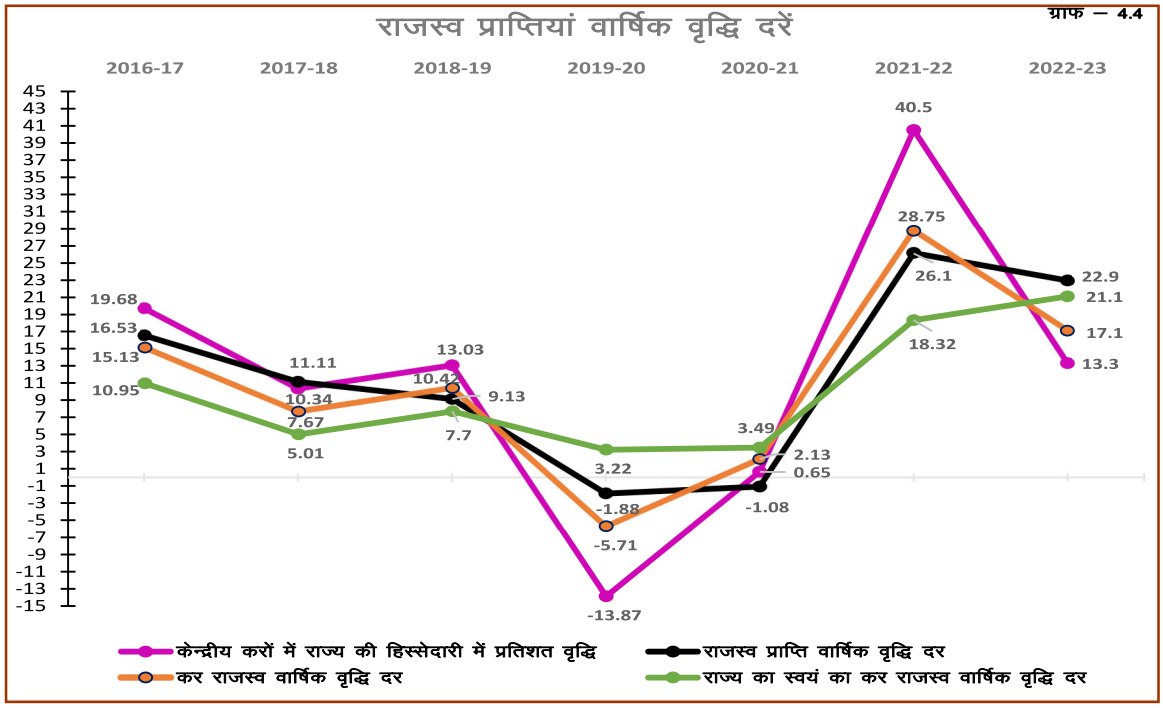

राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियाँ [SORR]

4.28 राज्य के स्वयँ की राजस्व प्राप्तियों में लगभग तीन चौथाई प्राप्तियाँ, राज्य के स्वयँ के कर राजस्व से तथा शेष राज्य के स्वयँ के गैर कर राजस्व से प्राप्त होती है।

4.29 राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2011–12 में 14770.73 करोड़ रूपये थी, जो 10.75% वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर के साथ वर्ष 2016–17 में 24614.46 करोड़ रूपये हो गयी।

4.30 राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2017–18 में 26235.10 करोड़ रूपये थी जो13.21% वार्षिक चक्रीय वृद्धि दर के साथ वर्ष 2022–2023 (पु.अ.) में 48800 करोड़ अनुमानित है।

4.31 राज्य के स्वयँ के राजस्व के संबंध में, 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के पूर्वानुमान (2015–20) तथा तीसरे राज्य वित्त आयोग (2017–22) के पूर्वानुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति कम रही है। वस्तुतः कोविड से प्रभावित वर्ष 2019–20 तथा 2020–21 में राज्य के स्वयँ के कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दरें क्रमशः 3.22% तथा 3.49% रही, इन वर्षों में स्वयँ के गैर कर राजस्व की वार्षिक वृद्धि दर 2019–20 में मात्र 2.99% तथा 2020–21 में ऋणात्मक (–)10.04% रही। तथापि 2017–18 से 2022–23 (पु.अ.) के बीच आर्थिक शिथिलता के राष्ट्रीय परिदृश्य में राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर संतोषजनक रही है।

राज्य का स्वयँ का कर राजस्व [OTR]

4.32 कर राजस्व ख्ज्त्, में, राज्य का स्वयँ का कर राजस्व [OTR] वर्ष 2011–12 में 62.89% तथा केंद्रीय करों से राज्य को प्राप्ति की हिस्सेदारी 37.11% थी। 2014–15 तक कर राजस्व में राज्य के स्वयँ के कर राजस्व की हिस्सेदारी लगभग इसी अनुरूप थी, परंतु 2015–16 से 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुरूप, केन्द्र सरकार

द्वारा राज्यों के साथ साझा किये जाने वाले कर हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य को केन्द्रीय करों से अधिक कर राजस्व प्राप्ति हुई, अतः कुल कर राजस्व में स्वयँ के कर राजस्व की हिस्सेदारी घटकर लगभग 50% के आसपास प्राप्त हो रही है।

4.33 2017–18 से 2022–23 (पु.अ.) के बीच कर राजस्व [TR] प्राप्ति की CAGR 9.9% अनुमानित है। इस अवधि में राज्य के स्वयँ के कर राजस्व [OTR] की CAGR 10.52% तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व की CAGR 9.3% अनुमानित है।

4.34 2019–20 तथा 2020–21 को छोड़कर, केंद्र से प्राप्त कर राजस्व में उत्प्लावन सामान्यतः 1 से अधिक है। यह उत्प्लावन, राज्य के स्वयँ के कर राजस्व [OTR] में उत्प्लावन की तुलना में अधिक है। 2020–21, 2021–22 तथा 2022–2023(पु.अ.) को छोड़कर अन्य वर्षों में राज्य के स्वयँ का कर राजस्व उत्प्लावन 1 से कम है।

4.35 आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार के साथ कर राजस्व प्राप्ति की संभावना आगामी वित्तीय वर्षों में अधिक होगी। 2011–12 में कुल कर राजस्व, जीएसडीपी के 10.77% था जो 2016–17 में 14.4% हो गया। 2019–20 तथा 2020–21 में भी यह क्रमशः 12.3% तथा 12.5% था, 2022–2023 (पु.अ.) में पुनः 14.2% अनुमानित है। आगामी वित्तीय वर्षों में भी यह सतत् वृद्धिमान रहने की संभावना है। 15वें वित्त आयोग ने कर जीएसडीपी प्रतिशत 2021–22 के लिए 13.4% पूर्वानुमानित किया है, जो 2025–26 तक बढ़कर 15.2% हो जायेगा।

4.36 2017–2018 में राज्य की स्वयँ की कर प्राप्तियाँ 19894.68 करोड़ रूपये थी जो 10.52% CAGR के साथ 2022–2023(पु.अ.) में 32800 करोड़ रूपये अनुमानित है। इस समयावधि में राज्य सरकार के विभिन्न कर शीर्षों की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर CAGR क्रमशः, राज्य वस्तु एवं सेवा कर (21.9%), भू–राजस्व (17.5%) बिजली पर कर (12.2%), स्टाम्प और पंजीकरण (11.9%), राज्य उत्पाद शुल्क (9.7%), वाहनो पर कर (8.2%) तथा बिक्री व्यापार आदि पर कर (0.6%) अनुमानित है।

तालिका 4.6
राज्य की स्वयँ की कर राजस्व प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

शीर्ष	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23 (पु.अ.)
भू राजस्व	446.41	487.57	551.50	937.71	949.94	1000.00
स्टाम्प और पंजीकरण	1197.47	1108.46	1634.62	1584.94	1945.36	2100.00
राज्य उत्पाद शुल्क	4054.00	4489.02	4952.36	4635.80	5106.61	6450.00
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6449.60	4087.72	3931.37	4236.04	5341.10	6643.49
वाहनों पर कर	1180.01	1204.85	1274.85	1148.07	1372.51	1750.00
बिजली पर कर और शुल्क	1688.95	1790.27	1837.00	2341.41	2836.05	3000.00
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4386.56	8203.41	7894.82	7925.01	9483.48	11795.96
अन्य	491.67	55.95	41.32	80.22	48.68	60.55
योग	**19894.68**	**21427.25**	**22117.85**	**22889.20**	**27083.73**	**32800.00**

स्रोत :– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षों का बजट

4.37 राज्य सरकार के कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त कर राजस्व की है। राज्य के स्वयँ के कर राजस्व में, राज्य वस्तु एवं सेवा कर की हिस्सेदारी एक तिहाई से अधिक है। बजट 2022–23(पु.अ.) में राज्य सरकार के स्वयँ के कर राजस्व में विभिन्न कर राजस्व शीर्षो की हिस्सेदारी क्रमशः निम्नलिखित है –

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (35.96%), बिक्री/व्यापार आदि पर कर (20.25%), राज्य उत्पाद शुल्क (19.7%), बिजली पर कर और शुल्क (9.15%), स्टाम्प और पंजीकरण (6.4%), वाहनों पर कर (5.3%), भू–राजस्व (3.05%)।

राज्य का स्वयँ का गैर कर राजस्व

4.38 2011–12 से 2016–17 के बीच 5 वर्ष की अवधि में राज्य के स्वयँ के गैर कर राजस्व की ब।ळत् 6.9ः थी, जबकि 2017–18 से 2022–23(पु.अ.) के बीच CAGR, 20.34% अनुमानित है।

4.39 राज्य के गैर कर राजस्व में आर्थिक सेवाओं से प्राप्त गैर कर राजस्व का हिस्सा लगभग 95% है। आर्थिक सेवाओं में अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग से प्राप्त गैर कर राजस्व, 2017–18 में 4911.4 करोड़ रूपये था, जो 2022–23(पु.अ.) में 13500 करोड़ रूपये अनुमानित है। इस अवधि में अलौह धातु खनन तथा धातुकर्म उद्योग से गैर कर राजस्व आय की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर 22.4% अनुमानित है।

4.40 आर्थिक सेवाओं में गैर कर राजस्व के अन्य महत्वपूर्ण मदों में शामिल, सिंचाई क्षेत्र से प्राप्त गैर कर राजस्व 2017–18 में 588.88 करोड़ रूपये था, जो 13.3% CAGR के साथ 2022–23 (पु.अ.) में 1100 करोड़ रूपये अनुमानित है। वानिकी तथा वन्य जीवन क्षेत्र से प्राप्त गैर कर राजस्व 2017–18 में 291.17 करोड़ रूपये से 11.4% CAGR के साथ 2022–2023 (पु.अ.) में 500 करोड़ रूपये अनुमानित है।

4.41 राज्य सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत रूप में राज्य का स्वयँ का गैर कर राजस्व 2017–18 में 2.24% था जो 2022–2023 (पु.अ.) में बढ़कर 3.50% अनुमानित है।

तालिका 4.7
राज्य का स्वयँ का गैर कर राजस्व

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वित्तीय वर्ष	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	वानिकी और वन्य जीवन	सिंचाई	अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग	अन्य	योग
1	2017–18	185.24	291.17	588.88	4911.44	363.69	6340.42
2	2018–19	191.04	236.73	697.19	6110.24	467.82	7703.02
3	2019–20	234.80	249.37	730.29	6195.73	523.58	7933.77
4	2020–21	92.07	277.08	683.79	5538.49	545.52	7136.95
5	2021–22	141.60	346.90	564.07	12305.38	493.26	13851.21
6	2022–23 (पु.अ.)	225.13	500.00	1100.00	13500.00	674.87	16000.00

स्रोत :– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षो का बजट

तालिका 4.8
राज्य का स्वयँ का कर एवं गैर कर राजस्व, जी.एस.डी.पी.के प्रतिशत रूप में

(GSDP के प्रतिशत के रूप. में)

वित्तीय वर्ष	स्वयँ का कर राजस्व	स्वयँ का गैर कर राजस्व	राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियाँ
2017–18	7.04	2.24	9.28
2018–19	6.55	2.35	8.90
2019–20	6.42	2.30	8.72
2020–21	6.58	2.05	8.63
2021–22	6.66	3.41	10.07
2022–23 (पु.अ.)	7.17	3.50	10.67

स्रोत :–1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षों का बजट
2. GSDP आँकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण 2022–2023

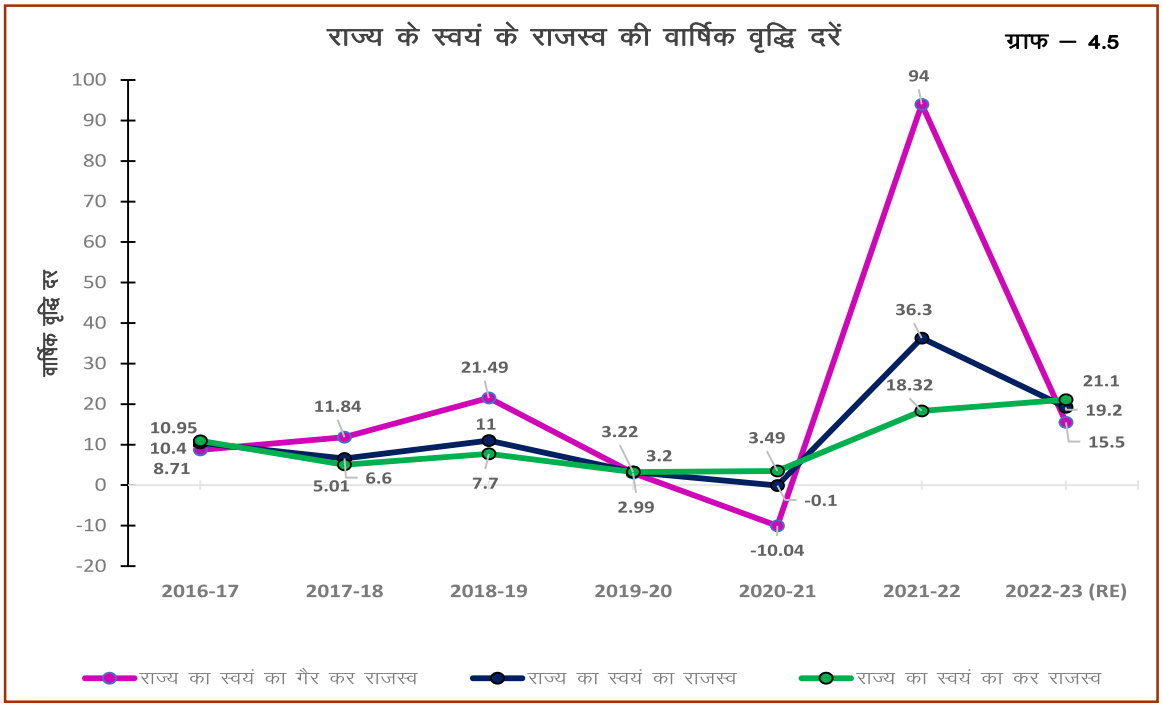

व्यय के विभिन्न मदों की प्रवृत्तियाँ

4.42 2011–12 में कुल व्यय 27957.2 करोड़ रू. था, जो 2016–17 तक बढ़कर 57968.26 करोड़ रू हो गया। इस अवधि में कुल व्यय की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर CAGR, 15.7% रही, जो राज्य के स्वयँ के राजस्व प्राप्ति के CAGR (10.75%) से अधिक है।

4.43 2017–18 में कुल व्यय 66600.54 करोड़ रू. था, जो 2022–23 (पु.अ.) में 112708.04 करोड़ रू. अनुमानित है। इस अवधि में कुल व्यय की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर 11.1% अनुमानित है, जो राज्य के स्वयँ के राजस्व प्राप्ति की CAGR, 13.21% से कम है।

4.44 जीएसडीपी के प्रतिशत रूप में भी कुल व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2011–12 में कुल व्यय, जीएसडीपी के 17.7% था, जो 2016–17 तक बढ़कर 22.1% तथा 2022–23 (पु.अ.) में 24.63% अनुमानित है। तालिका 4.9 में कुल व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय से संबंधित व्यय सूचकांक प्रदर्शित हैं।

4.45 कुल व्यय में राजस्व व्यय 2011–12 में 80.9% था, जो लगातार बढ़ते हुए 2019–20 में 89.5% तथा 2020–21 में 88.5: के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। (तालिका 4.9)

तालिका 4.9
व्यय तथा व्यय संबंधित सूचकांक

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पु.अ.)
राजस्व व्यय (राशि करोड़ रू. में)	56229.7	64411.2	73477.3	70032.8	75010.0	95247.1
पूंजीगत व्यय (राशि करोड़ रू. में)	10000.9	8903.4	8566.4	9024.2	10504.2	17079.4
कुल व्यय (राशि करोड़ रू. में)	66600.5	73565.1	82099.8	79107.5	85838.0	112708.0
कुल व्यय, जीएसडीपी के प्रतिशत में, TE/GSDP (%)	23.5	22.5	23.8	22.7	21.1	24.6
राजस्व व्यय, जीएसडीपी के प्रतिशत में, RE/GSDP (%)	19.9	19.7	21.3	20.1	18.4	20.8
पूंजीव्यय, जीएसडीपी के प्रतिशत में, CE/GSDP (%)	3.5	2.7	2.5	2.6	2.6	3.7
राजस्व व्यय, कुल व्यय के प्रतिशत में, RE/TE (%)	84.4	87.5	89.5	88.5	87.4	84.5
पूंजी व्यय, कुल व्यय के प्रतिशत में, CE/TE (%)	15.0	12.1	10.4	11.4	12.2	15.1
स्वयँ का राजस्व, राजस्व व्यय के प्रतिशत में,SORR/RE (%)	46.6	45.2	40.9	42.9	54.6	51.2
स्वयँ का कर राजस्व, राजस्व व्यय के प्रतिशत में OTR/RE(%)	35.4	33.3	30.1	32.7	36.1	34.4
राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत में, RE/TRR (%)	94.3	98.9	115.0	110.8	94.2	97.3

स्रोतः– संबंधित वर्षों के बजट पत्र

4.46 2016–17 में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय का 16.3% था, परंतु कोविड महामारी तथा आर्थिक सहायता में वृद्धि के कारण 2019–20 तथा 2020–21 में यह घटकर क्रमशः 10.4% तथा 11.4% हो गया, पुनः बढ़कर 2022–23 (पु.अ.) में 15.1% अनुमानित है। (तालिका 4.9)

4.47 2019–20, तथा 2020–21 में राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय अधिक होने से राजस्व घाटा हुआ।

4.48 राज्य अपने स्वयँ के राजस्व से, कुल राजस्व व्यय के 65.3% व्यय की पूर्ति करने में 2011–12 में सक्षम था, परंतु राज्य की इस क्षमता में कमी आयी है। 2016–17 में स्वयँ के राजस्व से, 51.1% राजस्व व्यय की पूर्ति, जबकि जीएसटी लागू होने के पश्चात् 2017–18 में, मात्र 46.6% राजस्व व्यय की पूर्ति कर सका। कोविड महामारी के दौरान 2019–20 तथा 2020–21 में स्वयँ के राजस्व से क्रमशः 40.9% तथा 42.9% ही राजस्व व्यय की पूर्ति कर सका। परंतु राज्य के स्वयँ के राजस्व प्राप्त की वृद्धि दर आशाजनक है। 2017–2018 से 2022–2023(पु.अ.) के बीच स्वयँ के राजस्व प्राप्ति की CAGR, 13.21% है, जबकि राजस्व व्यय की CAGR 11.11% है। अतः 2021–2022 में राज्य अपने स्वयँ के राजस्व से 54.6% राजस्व व्यय की पूर्ति तथा 2022–2023(पु.अ.) में 51.2% राजस्व व्यय की पूर्ति कर सका। आगामी वित्तीय वर्षों में भी राजस्व आधिक्य की स्थिति आशान्वित है। (तालिका 4.9)

4.49 2011–12 में राज्य का पूंजीगत व्यय 4056.4 करोड़ रू. था, जो 18.5% CAGR के साथ 2016–17 में 9470.51 करोड़ रू. हो गया । 2017–18 से 2022–23 (पु.अ.) के बीच CAGR 11.3% वृद्धि के साथ 2017–18 में 10000.9 करोड़ रू. पूंजीगत व्यय से 2022–23 (पु.अ.) में 17079.4 करोड़ रू. अनुमानित है। (तालिका 4.9)

4.50 कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक राजस्व व्यय, सामाजिक सेवा क्षेत्र में किया जाता है, तत्पश्चात् क्रमशः आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं पर, राजस्व व्यय होता है। परंतु 2017–18 से 2022–2023(पु.अ.) की अवधि में सामाजिक सेवा क्षेत्र में व्यय 43.3% से घटकर 38.7% हो गया है। 2017–2018 से 2022–2023 (पु.अ.) की अवधि में राजस्व व्यय में चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर 11.1% है। इस अवधि में सामान्य सेवाओं में राजस्व व्यय की CAGR 13.43%, आर्थिक सेवा में राजस्व व्यय CAGR 13.38% तथा सामाजिक सेवा क्षेत्र में राजस्व व्यय CAGR 8.65% है। स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान तथा अंशदान भी घटा है। (तालिका 4.10)

तालिका 4.10
राजस्व व्यय की संरचना

(राशि करोड़ रूपये)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
सामान्य सेवायें	12870.41	15280.29	19095.34	19586.18	21375.4	24173.3
सामाजिक सेवायें	24371.59	23454.94	26652.57	25066.17	27963.7	36907.0
आर्थिक सेवायें	17623.09	24780.79	26609.08	24255.18	24558.1	33024.2
स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान, अंशदान	1364.66	895.16	1120.32	1125.31	1112.8	1142.6
कुल राजस्व व्यय	**56229.75**	**64411.17**	**73477.31**	**70032.84**	**75010.0**	**95247.1**
संरचना (कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में)						
सामान्य सेवायें	22.9	23.7	26.0	28.0	28.5	25.4
सामाजिक सेवायें	43.3	36.4	36.3	35.8	37.3	38.7
आर्थिक सेवायें	31.3	38.5	36.2	34.6	32.7	34.7
स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान,अंशदान	2.4	1.4	1.5	1.6	1.5	1.2

स्रोत :– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षो का बजट

4.51 2017–18 में प्रतिबद्ध व्यय (CRE), कुल राजस्व व्यय का 45.1% था जो 2022–2023(पु.अ.) में 53.9% अनुमानित है। प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत वेतन–भत्ते और मजदूरी, पेंशन, आर्थिक सहायता, तथा ब्याज अदायगी शामिल किये जाते हैं। 2017–18 में राज्य, स्वयँ की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की पूर्ति करने में सक्षम था। परंतु स्वयँ की कर राजस्व संग्रहण क्षमता में कमी के कारण अन्य वर्षों में राज्य, स्वयँ की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिबद्ध व्यय की पूर्ति नहीं कर सका है। 2017–18 से 2022–2023 (पु.अ.) के बीच प्रतिबद्ध व्यय की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर (CAGR), 15.14: के उच्च स्तर पर है, जो आगामी वित्तीय वर्षों में भी गंभीर चुनौती बनी रहेगी। (तालिका 4.11)

तालिका 4.11
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय

(राशि करोड़ रूपये)

शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (पु.अ.)	CAGR% 2017-23
1 वेतन भत्ते और मजदूरी	13183.8	17426.8	21350.7	21629.5	23619.8	28670.7	16.81
2 पेंशन	3897.5	5403.1	6611.11	7114.9	7450.3	6711.7	11.48
3 आर्थिक सहायता (सब्सिडी)	5004.9	8323.0	11483.2	7307.9	6565.3	8726.0	11.76
4 ब्याज अदायगी	3298.3	3652.5	4970.3	5633.1	6144.2	7262.0	17.10
प्रतिबद्ध राजस्व व्यय (CRE) [1+2+3+4]	25384.6	34805.5	44415.4	41685.5	43779.6	51370.4	15.14
प्रतिबद्ध व्यय, कुल राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में, (CRE/RE)%	45.1	54.0	60.4	59.5	58.4	53.9	-
प्रतिबद्ध व्यय, राज्य की स्वयँ की राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में (CRE/SORR)%	96.7	119.5	147.8	138.8	106.9	105.3	-

स्रोतः– संबंधित वर्षों के बजट पत्र

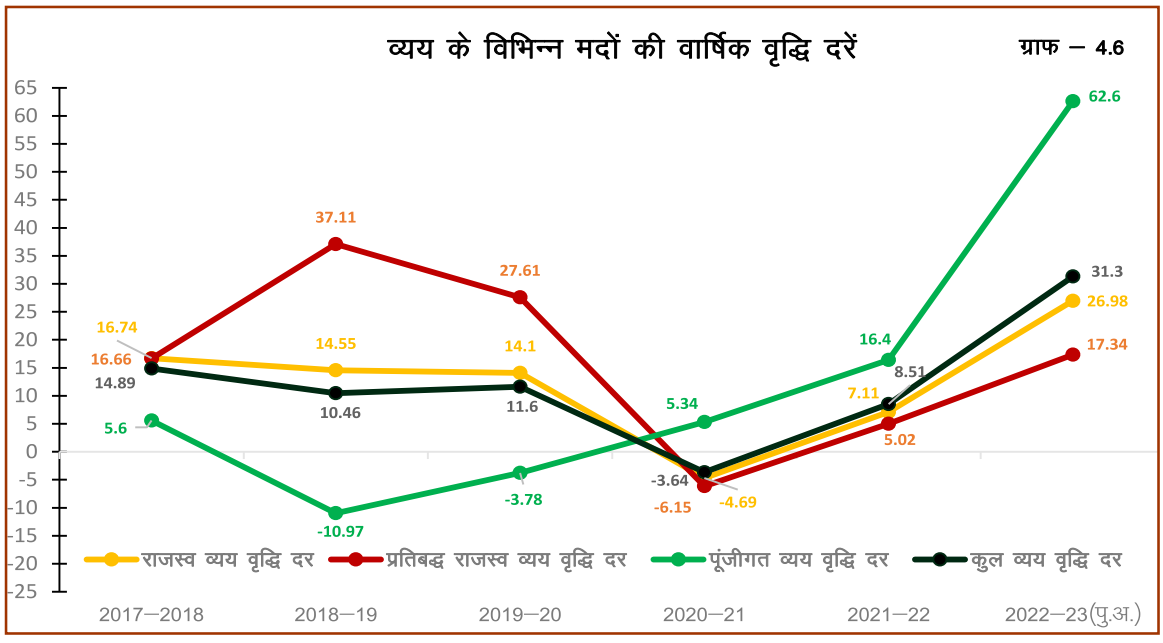

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का आगामी वित्तीय वर्षों हेतु राज्य सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य के स्वयँ के कर तथा गैर कर राजस्व का पूर्वानुमान

4.52 पंद्रहवें वित्त आयोग के रिपोर्ट के अनुसार इस बात की अभी भी काफी अनिश्चितताएँ हैं कि कोविड महामारी जिसने मानव जीवन, उत्पादनशील क्षमता एवं आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया है। कब तक जारी रहेगी और उससे बहाली किस प्रकार होगी?

4.53 पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार 2020–21 तथा 2021–22 में अनिश्चित्ताएँ जारी रहेंगी और 2022–23 से आर्थिक कार्यकलापों का विस्तार होगा। तद्नुसार पंद्रहवें वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान हेतु स्थायी नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर की अपेक्षा वर्षवार भिन्न वृद्धि दर पूर्वानुमानित किया है।

4.54 छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के विगत वर्षों के मूल्याँकन तथा राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति के आकलन के परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट होता है कि राज्य के स्वयँ के कर राजस्व और गैर कर राजस्व संसाधनों के क्षेत्र में भविष्य के लिए भी संतोषजनक तथा तीव्र वृद्धि दर की संभावनाएं निहित हैं। यद्यपि कोविड महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव डाला है, परंतु आगामी वित्तीय वर्शों में आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता से विस्तार की संभावना है।

4.55 राज्य के स्वयँ के कर तथा गैर कर राजस्व क्षेत्र सकारात्मक सामर्थ्य क्षमतापूर्ण हैं। राज्य में मानव संसाधन क्षेत्र उत्तरोत्तर प्रगतिशील है, तथा उत्पादन क्षेत्र में कई नयी संभावनाएँ विकसित हो रही हैं। उपरोक्त आर्थिक मानकों के आधार पर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अपनी पंचाट अवधि 2025–30 के लिए स्थायी जीएसडीपी वृद्धि दर की अपेक्षा, वर्षवार भिन्न वृद्धि दरें पूर्वानुमानित किया है।

तालिका 4.12
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का जीएसडीपी तथा कर राजस्व पूर्वानुमान

(राशि करोड़ रूपये)

शीर्ष	2023–24	2024–25	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29	2029–30
राज्य, सकल घरेलू उत्पाद (GSDP)	470951	513336	564670	621137	686356	761855	845659
वार्षिक वृद्धि दर	-	9%	10%	10%	10.5%	11%	11%
राज्य का स्वयँ का कर राजस्व (OTR)	32496	35420	39527	43480	48731	54854	60887
जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत रूप में (%)	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2
राज्य का स्वयँ का गैर कर राजस्व (ONTR)	11774	12833	14117	15528	17845	20570	22833
जी.एस.डी.पी के प्रतिशत रूप में (%)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7
राज्य का स्वयँ का राजस्व	44270	48253	53644	59008	66576	75424	83720
जी.एस.डी.पी के प्रतिशत रूप में (%)	9.4	9.4	9.5	9.5	9.7	9.9	9.9